वित्तीय स्वीकृति

संख्या-1543 /एक-5-2015-136/2010

प्रेषक,

मनिराम सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ :: दिनांक 20 नवम्बर, 2015**

विषयः-नवसृजित जनपद अमेठी में जनपद मुख्यालय के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु अर्जित भूमि हेतु प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, अमेठी के पत्रांक-489/एल0ए0सी0/2015, दिनांक 06 सितम्बर, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय नवसृजित जनपद अमेठी में जनपद मुख्यालय के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु अर्जित भूमि के प्रतिकर के भुगतान हेतु शासनादेश संख्या-2072/एक-5-2010-136/2010, दिनांक 03 नवम्बर, 2010 के द्वारा रू0 174.14 लाख तथा शासनादेश संख्या-1405/एक-5-2012-136/2010, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 के द्वारा 173.10 लाख अर्थात कुल रू0 347.24 लाख की धनराशि स्वीकृत/अवमुक्त किये जाने के अनुक्रम में अवशेष प्रतिकर के भुगतान हेतु रू0 307.77554 लाख (रूपये तीन करोड़ सात लाख सत्हत्तर हजार पांच सौ चौवन मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष सहमति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृति धनराशि नियमानुसार आहरित कर जिलाधिकारी, अमेठी को तत्काल उपलब्ध करा दी जायेगी। स्वीकृति धनराशि का व्यय भूमि अर्जन हेतु तत्सम्बन्धी सुसंगत शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए ही किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरान्त शासन को यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु व्यय किया जायेगा।

(2) उक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी, अमेठी का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिकर की निर्गत की जा रही पूर्ण धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित करेंगे तथा इस धनराशि को जिले स्तर पर जिलाधिकारी के निवर्तन पर अधिक समय तक नहीं रखा जायेगा। इस

http://sfcsamadesh.upnic.in